

पत्रांक:-  
सेवा में,

1489

/11 बजट (लो0नि0वि0 भवन-चालू कार्य)/2017-18

दिनांक:- 01.2018

मुख्य अभियन्ता स्तर- I/स्तर- II,  
क्षेत्रीय/राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय,  
लोक निर्माण विभाग देहरादून/नई टिहरी/पौड़ी  
अल्मोड़ा/हल्द्वानी/देहरादून।

विषय:-  
सन्दर्भ:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनु.सं. 22, लेखाशीर्षक-4059 (पूँजीगत) लोक निर्माण विभाग भवन-चालू कार्यों में आवंटन।

- (1) शासनादेश संख्या-210/III (2)/17-03 (बजट)/2017 दिनांक-07.04.2017
- (2) शासनादेश संख्या-1587/III (2)/17-03 (बजट)/2017 दिनांक-18.07.2017
- (3) इस कार्यालय का आवंटन पत्र संख्या 710/11 बजट (लो0नि0वि0 भवन-चालू कार्य)/17-18 दि0 21.07.2017
- (4) इस कार्यालय का आवंटन पत्र संख्या 1061/11 बजट (लो0नि0वि0 भवन-चालू कार्य)/17-18 दि0 28.09.2017
- (5) इस कार्यालय का आवंटन पत्र संख्या 1226/11 बजट (लो0नि0वि0 भवन-चालू कार्य)/17-18 दि0 14.11.2017
- (6) शासनादेश संख्या-4028/III (2)/1-03 (बजट)/2017 दि0 03.01.2018 (पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि)

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेशों (क0सं0 1 एवं 2) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0 22, लेखाशीर्षक 4059-80-051-03-00-24 (पूँजीगत) लोक निर्माण भवन-चालू कार्यों में शासनादेशवार कुल ₹ 2.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष इस कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित आवंटन पत्रों (क0सं0 3,4 एवं 5 ) द्वारा खण्डों को ₹ 2.00 करोड़ की धनराशि पूर्णतः आवंटित की गई है। वर्तमान में योजनान्तर्गत निर्माणाधीन भवन कार्यों में अतिरिक्त धनावंटन की आवश्यकता के दृष्टिगत उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 03.01.2018 (क0सं0 6) द्वारा इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी योजना की बचतों से लोक निर्माण भवन-चालू कार्यों में ₹ 5.00 करोड़ का पुनर्विनियोग स्वीकृति प्रदान करते हुये स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की गई है। शासन द्वारा योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त धनराशि ₹ 5.00 करोड़ के सापेक्ष फील्ड अधिकारियों द्वारा योजनान्तर्गत सूचित अतिरिक्त धनावंटन की माँग तथा खण्डवार वित्तीय प्रगति (माह, 12/2017 तक) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणानुसार कार्यवार/खण्डवार अब ₹ 4.00 करोड़ (₹ चार करोड़ मात्र) की धनराशि इंगित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है, यह धनराशि खण्डों को योजनान्तर्गत पूर्व में आवंटित धनराशि ₹ 2.00 करोड़ के अतिरिक्त आवंटित की जा रही है।

आवंटन की शर्तें:- 1. संलग्न विवरणानुसार कार्यवार आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित स्वीकृत कार्यों पर कार्य की स्वीकृत लागत की सीमान्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा, किसी भी दशा में स्वीकृत लागत से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा और न ही अन्य कार्यों में व्यावर्तन किया जायेगा।

2. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न विवरणानुसार आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 15.03.2018 से पूर्व नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि लैप्स नहीं की जायेगी। ड्रुप्लीकेट भुगतान तथा नियमविरुद्ध भुगतान की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे जिनके विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के स्तर से नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4. निर्माणाधीन भवन कार्यों की माहवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

5. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

6. योजनान्तर्गत अब आवंटित धनराशि का उपयोग, करने से पूर्व उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 03.01.2018 में निहित समस्त शर्तों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित वित्तीय प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 22, लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-80 सामान्य-पूँजीगत-051 निर्माण-03 लोक निर्माण (चालू कार्य)-00-24 वृहत्त निर्माण के मद की नामें डाला जायेगा। संलग्न: शासनादेश दिनांक 03.01.2018 की छायाप्रति एवं कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3- वित्त नियंत्रक, कार्या0 प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून। साख-सीमा जारी करने हेतु।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, ..... वृत्त लोक निर्माण विभाग .....।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/वि0याँ0/रा0मा0 खण्ड लोक निर्माण विभाग .....।
- 6- आई.टी. सेल कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय ऑनलाईन बेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्न: कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

4.1.2018

1.T  
Upload  
016  
11.1.18

क्र० सं०	स्वीकृत/निर्माणाधीन कार्य का नाम	खण्ड का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत	दि० 01.04.2017 को अवशेष लागत	वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल माँग	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन		
						पूर्व आवंटन	अब आवंटन	कुल आवंटन (का. 7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद देहरादून में प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के कार्यालय हेतु तीन मंजिला भवन का निर्माण। (मूल स्वीकृत लागत ₹0 364.69 लाख के स्थान पर पुनरीक्षित स्वीकृति ₹0 813.99 लाख)	नि०ख० देहरादून	813.99	449.30	330.00	80.00	150.00	230.00
2	जनपद देहरादून के नथनपुर में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ताओं/ अधीक्षण अभियन्ताओं के कार्यालय एवं आफिसर्स हास्टल के निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)	नि०ख० देहरादून	34.16	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>योग, निर्माण खण्ड देहरादून</b>		<b>848.15</b>	<b>483.36</b>	<b>330.00</b>	<b>80.00</b>	<b>150.00</b>	<b>230.00</b>
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 08/2014 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड जाखणीघार के रजाखेत में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का निर्माण	प्रा०ख० नई टिहरी	8.10	3.50	1.00	0.00	0.00	0.00
4	मा० मुख्यमंत्रीजी घोषणा सं० 08/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जाखणीघार के रजाखेत में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन निर्माण कार्य	प्रा०ख० नई टिहरी	232.16	202.52	202.52	25.00	150.00	175.00
5	सेमन्डीघार में अतिथि गृह का निर्माण	प्रा०ख० नई टिहरी	44.64	19.17	19.00	5.00	5.00	10.00
6	प्रतापनगर में लो०नि०वि० निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य	प्रा०ख० नई टिहरी	56.86	36.29	20.00	5.00	5.00	10.00
	<b>योग, प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी</b>		<b>341.76</b>	<b>261.48</b>	<b>242.52</b>	<b>35.00</b>	<b>160.00</b>	<b>195.00</b>
7	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत देवप्रयाग में स्थित निरीक्षण भवन में अतिरिक्त दो सूट, किचन व टाईप-।। आवास निर्माण का कार्य। (द्वितीय चरण) (पुनरीक्षित स्वीकृति)	अ०ख० श्रीनगर	143.69	143.49	30.27	15.27	15.00	30.27
8	लोक निर्माण भवन (चालू कार्य) (प्रथम चरण) :-मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 137/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनोल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर में गरखेत में लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	अ०ख० थत्थूड़	11.51	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
9	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी में ग्राम सीकू में लोक निम्नण विभाग के निरीक्षण भवन का कार्य।	नि०ख० पौड़ी	133.98	133.88	6.00	0.00	1.70	1.70
10	जनपद पौड़ी गढ़वाल के ब्लाक रिखणीखाल में निरीक्षण भवन का निर्माण।	प्रा०ख० लैन्सडौन	135.97	3.30	3.30	0.00	3.30	3.30
11	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० धुमाकोट के कार्यालय भवन का निर्माण।	रा०मा०ख० धुमाकोट	333.50	109.37	35.00	5.00	15.00	20.00
12	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० धुमाकोट के आवासीय भवनों का निर्माण।	रा०मा०ख० धुमाकोट	344.83	200.90	65.00	10.00	35.00	45.00
	<b>योग, रा०मा०ख० धुमाकोट</b>		<b>678.33</b>	<b>310.27</b>	<b>100.00</b>	<b>15.00</b>	<b>50.00</b>	<b>65.00</b>
13	मा० मुख्य मंत्री घो० सं० 742/2012 दिनांक 10.09.2012 के अन्तर्गत जैती में लो०नि०वि० के निरीक्षण भवन/दो सूट के निर्माण की स्वीकृति (प्रथम चरण)	प्रा०ख० अल्मोड़ा	2.50	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं० :- 742/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जागेश्वर में जैती में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का निर्माण	प्रा०ख० अल्मोड़ा	118.16	118.06	5.00	0.00	5.00	5.00
15	मा० मुख्य मंत्री घोषणा सं० 2292/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत खूंट में लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ विश्राम गृह (एस.आर.एच.) का निरीक्षण भवन के रूप में उच्चीकरण कार्य (प्रथम चरण)	प्रा०ख० अल्मोड़ा	1.40	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>योग, प्रान्तीय खण्ड अल्मोड़ा</b>		<b>122.06</b>	<b>121.76</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>

